संख्या पी-13013/95/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी
भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) का उपयोग करके प्रमाणपत्र/कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी लॉगिन के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड को निष्क्रिय/रद्द करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(1फरवरी, 2025 से प्रभावी)

1. यूडीआईडी परियोजना के बारे में: "विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)" परियोजना का उद्देश्य सभी दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक विवरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। यह परियोजना भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी " दिव्यांगजनों " को यूडीआईडी कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान करती है।

1.2. उद्देश्य : यह दस्तावेज़ प्रमाण पत्र और कार्ड जारी करने वाले प्राधिकरण के लॉगिन का उपयोग करके दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड को निष्क्रिय करने के लिए मानकीकृत प्रक्रिया को रेखांकित करता है। इस प्रक्रिया में ऐसे मामलों के लिए प्रावधान शामिल हैं जहाँ गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड अनजाने में जारी कर दिया गया है और यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) के माध्यम से पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

1.3: दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड को निष्क्रिय/रद्द करने की परिस्थितियाँ: प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड को निष्क्रिय/रद्द करने के अनुरोध पर निम्नलिखित परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है:

(i) जब दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड धारक द्वारा या माता-पिता या कानूनी अभिभावक/प्रतिनिधि के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड की अब आवश्यकता नहीं है या कोई अन्य कारण है जिसे उचित माना जा सकता है।

आनन्द
27/01/2025

(ii) जब सरकारी नियोक्ता (जी.ई.) या सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (जी.आई.एच.ई.) और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों (ओ.एच.ई.आई.) या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकार के उपक्रम द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड या अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच करने पर यह स्थापित हो जाता है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यू.डी.आई.डी. कार्ड धारक वास्तविक रूप से दिव्यांग व्यक्ति नहीं है और अनुरोध उक्त संगठन के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से किया जाता है।

(iii) दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड धारक की मृत्यु पर और जब माता-पिता या कानूनी अभिभावक/प्रतिनिधि के माध्यम से मृत्यु के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अनुरोध किया जाता है।

(iv) जब दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनजाने में हुई त्रुटि के कारण दिव्यांग व्यक्ति को जारी कर दिया गया हो।

1.4. **नोटिस अवधि:** यदि प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनजाने में हुई गलती के कारण दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी किया गया है, तो प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को दिव्यांग (दिव्यांग व्यक्ति) या उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक को लिखित नोटिस भेजना होगा , जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड में पहचानी गई त्रुटि के बारे में बताया जाएगा और प्रमाण पत्र और कार्ड को निष्क्रिय/रद्द करने का इरादा होगा। दिव्यांग व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने या आपत्तियां उठाने के लिए 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर जवाब देने के लिए कहा जाना चाहिए। इस संबंध में नोटिस या संचार डाक या दिव्यांग व्यक्ति के पंजीकृत ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

खंड 1.3 के अंतर्गत उल्लिखित स्थितियों (i), (ii) और (iii) के मामले में , दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड धारक द्वारा या माता-पिता या कानूनी अभिभावक/प्रतिनिधि या निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से किया गया अनुरोध प्रमाण पत्र और कार्ड को निष्क्रिय/रद्द करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज होगा।

1.5. प्रतिक्रिया प्रबंधन:

यदि दिव्यांग व्यक्ति नोटिस अवधि के भीतर जवाब देता है, तो जवाब और सहायक दस्तावेजों की अच्छी तरह से समीक्षा करें। वैध आपत्तियों के मामले में, निष्क्रियता के साथ आगे बढ़ने से पहले निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें।

यदि 15 दिनों की निर्दिष्ट समयावधि के भीतर दिव्यांगजन से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

1.6 दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड को निष्क्रिय/रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

आनन्द
27/01/2025

(i) आधिकारिक UDID पोर्टल पर जाएं: https://www.swavlambancard.gov.in । क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।

(ii) लॉगिन डैशबोर्ड में निर्धारित टैब का उपयोग करके निष्क्रिय/रद्द किए जाने वाले यूडीआईडी कार्ड का पता लगाना। यूडीआईडी नंबर या नामांकन संख्या या व्यक्ति के आधार नंबर द्वारा विशिष्ट यूडीआईडी कार्ड का पता लगाने के लिए खोज कार्यक्षमता का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करने के लिए विवरण सत्यापित करें कि सही रिकॉर्ड चुना गया है।

(iii) उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके निर्दिष्ट दस्तावेज़ अपलोड करें। टिप्पणियाँ भरें।

(iv) विवरण को एक बार फिर से सत्यापित करने के लिए पूर्वावलोकन विकल्प का उपयोग करें।

(v) **रिकॉर्ड का अंतिम प्रस्तुतीकरण** : चयनित रिकॉर्ड को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले, ओटीपी जनरेट करने के लिए अनुरोध करना होगा। ओटीपी **प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर जाएगा** । ओटीपी को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने और रिकॉर्ड को सहेजने पर, चयनित दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड यूडीआईडी पोर्टल से निष्क्रिय/रद्द हो जाएंगे।

(vi) **दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड धारक को सूचना** : जैसे ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड यूडीआईडी पोर्टल से निष्क्रिय/रद्द हो जाएंगे, इसकी सूचना दिव्यांगजन को डाक के माध्यम से या दिव्यांगजन के पंजीकृत ईमेल पर भेज दी जाएगी।

1.7 एमआईएस का अलग टैब: प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निष्क्रिय/रद्द किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड की संख्या तक पहुंचने के लिए पोर्टल पर अलग टैब होगा ।

आनन्द

(आनंद)
अनुभाग अधिकारी
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी)

सेवा में:

सभी संबंधितों से आवश्यक कार्रवाई की मांग